

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010

परिपत्र

जयपुर, दिनांक

16 APR 2010

विषय :- भू उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 बने गये हैं जिनके तहत किसी भूमि या भूखण्ड को एक उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तन की कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के सरलीकरण व समयबद्ध निष्पादन का दृष्टि में समय-समय पर दिनांक 25.02.2009 व 17.05.2009 को परिपत्र जारी किये गये हैं, जिनमें भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए मास्टर प्लान के नगरीकरण जोना में कुछ उपयोगों की भूमि में परिवर्तन की कार्यवाही पर रोक लगाई हुई है, परन्तु इन नियमों में विस्तृत मानदण्ड नहीं होने के कारण प्रकरणों के निस्तारण में अतिक्रमण का देखते हुए, एवं निर्णयों में समरूपता लाने का दृष्टि से राज्य के सभी शहरों/कस्बों में मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान क्षेत्रों में भूमि/ भूखण्ड रिवल या निस्तारण के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु पूर्व से जारी परिपत्रों को इकजाई कर तथा आवश्यक मानदण्ड सम्मिलित करते हुये विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1.1 - भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन के साथ आवेदक को आवेदन शुल्क गैर व्यवसायिक उपयोग हेतु 5.00 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु 10.00 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से आवेदन पत्र के साथ जमा कराने होंगे। आवेदन शुल्क की अधिकतम सीमा 5 लाख रू० होगी।

1.2 - आवेदन पत्र के साथ भूमि का साईट प्लान, स्वामित्व के दस्तावेज, खसरा मैप, सड़क चौड़ाई, पहुँच मार्ग व उसकी चौड़ाई, वर्तमान निर्माण की स्थिति का मानचित्र, प्रस्तावित भूखण्ड के आस-पास (लगभग 100-100 मीटर दोनों ओर) चल रही व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों के फोटोग्राफ चार प्रतियों में तथा प्रस्तावित उपयोग का विस्तृत विवरण संलग्न करने होंगे।

1.3 - कृषि से अकृषि उपयोग के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90वीं में निर्धारित शुल्क मानदण्ड एवं शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1.4 - मास्टर प्लान में आंकलन लम्बे यूज व सड़क-यूज से अन्य यूज व सड़क-यूज जहाँ मास्टर प्लान नहीं है वहाँ जारी किये गये पट्टे के हिसाब से भूखण्ड का वर्तमान उपयोग निर्धारित होगा।

1.5 - शुल्क निर्धारण राजस्थान नगर पालिका भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2000 में किसी प्रावधान के होते हुये भी जहाँ वाणिज्यिक से अन्य भू-उपयोग परिवर्तन हो वहाँ कोई भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा।

20000 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु आवेदन करने पर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) देनी होगी जिसमें वित्तीय संसाधन का विवरण तथा प्रोजेक्ट क्रियान्विति का टाईम शेड्यूल देना होगा।

2. भू उपयोगों के प्रकार :- किसी भूमि/भूखण्ड के निर्धारित भू-उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तन कराने हेतु इस प्रक्रिया के तहत अनुमोदन आवश्यक होगा।

विभिन्न उपयोगों की परिभाषाएँ निम्नानुसार है :-

2.1 आवासीय - स्वतंत्र आवास, फ्लैट, ग्रुप हाऊसिंग

2.2 वाणिज्यिक - फुटकर/थोक व्यापार, सामान्य वाणिज्यिक स्थानिय वाणिज्यिकी केन्द्र, पेट्रोल पम्प, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स

2.3 पर्यटन - होटल, नोटल, रिसोर्ट, एम्पूजमेंट पार्क, गोल्फ कोर्स आदि।

- 2.4 औद्योगिक - लघु, नध्यम एवं वृहद् उद्योग
- 2.5 भण्डारण एवं गोदाम - लोजिस्टिक/कण्टेनर पार्क/कोल्ड स्टोरज आदि।
- 2.6 संस्थानिक - यूनिवर्सिटी, अनुसंधान संस्थान, महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय
- 2.7 सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक संस्थान - सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामुदायिक व सार्वजनिक सुविधाएँ, राजकीय कार्यालय।
- 2.8 परिसंचरण सुविधाएँ - बस स्टेण्ड, ट्रक टर्मिनल, सडकें

- उदाहरणार्थ - सिनेमा भी व्यावसायिक उपयोग में सम्मिलित है परन्तु सिनेमा से अन्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने हेतु आवेदन किया जाता है तो इसमें भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। केवल संबंधित स्थानीय निकाय/प्राधिकरण स्तर पर इस हेतु आदेश जारी किये जा सकेंगे।

3. नगरपालिका भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2000 के तहत गठित समितियों की शक्तियां :-

3.1 - समितियों की शक्तियां निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है।

स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास स्तरीय समिति - नगर पालिका/परिषद् क्षेत्र में 5000 वर्गमीटर तथा नगर निगम क्षेत्र में 6000 वर्गमीटर तक।

नगर विकास न्यास स्तरीय समिति - 6000 वर्ग मीटर तक।

प्राधिकरण स्तरीय समिति - जयपुर विकास प्राधिकरण व जोधपुर विकास प्राधिकरण में गठित कार्यकारी समिति 10000 वर्ग मीटर तक।

राज्य स्तरीय सक्षम समिति - स्थानीय स्तर पर गठित समितियों के क्षेत्राधिकार से बाहर के 100 एकड तक के समस्त प्रकरणों का निस्तारण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। 25 एकड से अधिक क्षेत्रफल

के प्रकरण का निस्तारण नगरीय विकास विभाग के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। परिपत्र में उल्लेखित मानदण्डों में शिथिलता के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार निर्णय लेगी और किराी भी प्रकरण का पुनर्वालोकन कर सकेगी।

मंत्रीमण्डलीय उप समिति – राज्य स्तरीय सक्षम समिति के अधिकार क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरण।

3.2 – (i) एफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत आवेदित किसी भी प्रकार की भूमि व क्षेत्रफल के प्रकरण जिन पर राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, का निर्माण स्वीकृति सहित निस्तारण संबंधित निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में 7 दिवस में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित की जावेगी एवं प्रकरण पर अंतिम निर्णय 30 दिन में करना आवश्यक होगा।

(ii) शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पताल हेतु :- यदि किसी भी भूमि/भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन शैक्षणिक संस्था अथवा अस्पताल हेतु चाहा गया है तो 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भू-उपयोग परिवर्तन संबंधित निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में 7 दिवस में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित की जावेगी एवं प्रकरण पर अंतिम निर्णय 30 दिन में करना आवश्यक होगा।

(iii) सरकारी/नगरीय निकायों/नगर विकास न्यास की भूमि के प्रकरणों के लिये :-

राज्य स्तरीय सक्षम समिति ऐसी भूमि के प्रकरणों के भू उपयोग परिवर्तन के लिये सम्पूर्ण रूप से सक्षम होगी।

3.3 अपील – किसी भी निर्णय की अपील उससे उच्च स्तरीय समिति में आदेश प्राप्ति के 60 दिन में की जा सकेगी। अपील के लिए व्यवसायिक

उपयोग के प्रकरणों में 1000 रुपये तथा गैर व्यवसायिक उपयोग लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क की रसीद आवेदन के साथ देनी होगी। यह शुल्क संबंधित निकाय में जमा कराकर रसीद प्राप्त की जायेगी।

4. राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना निम्न प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन निषेध रहेंगे :-

4.1 किसी भी शहर के प्रारूप / फाइनल मास्टर प्लान में अनुमोदन से 2 वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रत्येक मास्टर प्लान का 5 वर्ष बाद पुनरावलोकन किया जाकर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

4.2 उदयपुर शहर एवं माउण्ट आबू का निषिद्ध क्षेत्र एवं पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य क्षेत्रों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय संबंधित समिति द्वारा उनका प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार लिया जायेगा, किन्तु उक्त निर्णय को लागू करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा।

4.3 18 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय उपयोग के भूखण्डों से गैर आवासीय उपयोग

4.4 परिधि नियंत्रण क्षेत्र में 25 एकड़ व उससे बड़ी समस्त परियोजनाएं व 10 एकड़ अथवा उससे बड़े महत्वपूर्ण संस्थानों के उपयोगों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के भू उपयोग परिवर्तन निषिद्ध होंगे। अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी

के तहत आवेदित योजनाओं पर निषेध लागू नहीं होगा।

4.5 विकास प्राधिकरण/ नगर विकास न्यास/ नगर निगम/ परिषद् / पालिका की योजनाओं के भूखण्ड जो 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है।

- 4.6 आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों का गैर आवासीय उपयोग में परिवर्तन
- 4.7 मास्टर प्लान में दर्शायी गई ईकोलोजिकल जोन / इकोसेंसिटिव जोन तथा प्रारूप मास्टर प्लान / मास्टर प्लान में दर्शाये सभी योजना क्षेत्र।
- 4.8 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग - योजना क्षेत्र या राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियां - खुला क्षेत्र, पार्क, खेल का मैदान, रिक्रियेशनल, Orchards नर्सरी, सुविधा क्षेत्र, संस्थानिक क्षेत्र, अन्य सामुदायिक सुविधाएँ जैसे - हॉस्पिटल, शमशान, कब्रिस्तान, बस स्टेण्ड, ट्रक टर्मिनल सरकारी / अर्द्ध सरकारी कार्यालय, होटल, सिगनेस, वेयर हाऊसिंग एवं गोदाम, स्पेशियलाईज्ड मार्केट इत्यादि।
- 4.9 नीलामी/आवंटन द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन नीलामी/आवंटन की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक। यदि मास्टर प्लान में दर्शायी गई भू-उपयोग चाहे गये भू-उपयोग के अनुरूप है तो 5 वर्ष की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- 4.10 किसी भूखण्ड/भूमि का भू-उपयोग आवंटित उपयोग से भिन्न रूप में किया जा रहा है तथा किया गया निर्माण चाहे गये उपयोग हेतु निर्धारित अनुरूप नहीं है तो ऐसे भूखण्ड/भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन निषेध होगा।
- 4.11 ऐसी भूमि/भूखण्ड जो स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/नगर विकास न्यास, अन्य राजकीय नियंत्रण वाले मण्डल, संस्थान आदि से संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित /अवाप्ताधीन होने पर, मंत्री मण्डलीय उप समिति के निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी।

5. भू-उपयोग परिवर्तन हेतु तकनीकी मानदण्ड :-

5.1 भूखण्ड का क्षेत्रफल -

- (i) जिन उपयोगों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित नहीं है, उन प्रकरणों में वाणिज्यिक उपयोग हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर आवश्यक होगा।
- (ii) होटल प्रयोजनार्थ भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर आवश्यक होगा।

5.2 सड़क की चौड़ाई -

- (i) पेट्रोल पम्प व शोपिंग मॉल हेतु भू-उपयोग के लिए प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 24 मीटर सड़क पर स्थित होना आवश्यक होगा। सिनेमा व मल्टीप्लैक्स हेतु सड़क न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर आवश्यक होगी।
- (ii) उपरोक्त खण्ड (i) के अलावा किसी भी उपयोग से संस्थानिक उपयोग में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी अथवा भवन विनियम में निर्धारित चौड़ाई की सड़क जो भी अधिक हो पर स्थित होना आवश्यक होगा।
- (iii) 18.00 मीटर व इससे अधिक परन्तु 24.00 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर भी आवासीय से केवल होटल/संस्थानिक/कार्यालय हेतु भू-उपयोग परिवर्तन पर विचार किया जा सकेगा लेकिन ऐसे निर्माण की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर (सहित) अनुज्ञेय होंगी चाहे भूखण्ड का पुनर्गठन किया गया हो। 18 मीटर व इससे अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन इस शर्त पर अनुज्ञेय होगा कि प्रस्तावित भूखण्ड पर आवासीय उपयोग के मानदण्ड (पार्किंग के अलावा) लागू होंगे।
- (iv) 24.00 मीटर व इससे अधिक चौड़ी सड़को पर स्थित भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन सभी उपयोगों में किया जा सकेगा परन्तु भवन

निर्माण के तकनीकी मानदण्ड प्रस्तावित उपयोग हेतु भवन विनियमों में निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप लागू होंगे।

5.3 सैटबैक —भू-उपयोग उपांतरण के पश्चात् भूखण्ड पर सैटबैक योजना का हिस्सा होने की स्थिति में योजगानुसार अथवा भवन विनियमों की संबंधित उपयोग की तालिका अनुसार तथा गैर-योजना क्षेत्र के भूखण्ड होने की स्थिति में संबंधित उपयोग की तालिका अनुसार होंगे। देय आच्छादन, उँचाई एफ.ए.आर. आदि प्रस्तावित उपयोग हेतु भवन विनियमों में निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप लागू होंगे।

5.4 आवंटन/नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्ड — आवंटन/नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन आवंटन/नीलामी की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् ही किया जा सकेगा। ऐसे भूखण्डों पर देय एफ.ए.आर. आवंटन/नीलामी के समय दिये गये एफ.ए.आर. से अधिक नहीं होगा। शेष मानदण्ड आशायित उपयोग हेतु भवन विनियमों के अनुसार होंगे। यदि मास्टर प्लान में दर्शायी गई भू-उपयोग चाहे गये भू-उपयोग के अनुरूप है तो 5 वर्ष की बाध्यता लागू नहीं होगी।

5.5 मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार उपयोग हेतु आवेदन करने पर — यदि किसी भूखण्ड का भू-उपयोग उस क्षेत्र के लिये मास्टर प्लान में निर्धारित उपयोग के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है तो ऐसे आवेदन पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर भू-उपयोग परिवर्तन— आदेश जारी किये जा सकते हैं बशर्ते अन्य तकनीकी मानदण्ड की पूर्ति होती हो। इस प्रकार के आवेदन के निस्तारण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन नियम में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उदाहरणार्थ — यदि किसी भूखण्ड का निर्धारित मूल उपयोग आवासीय है परन्तु मास्टर प्लान में बाद में इस क्षेत्र का भू-उपयोग

वाणिज्यिक निर्धारित किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में सीधे ही आवश्यक शुल्क जमा कराकर भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किए जा सकेंगे बशर्ते उस भूखण्ड पर प्रस्तावित उपयोग के मानदण्डों की पूर्ति होती हो।

6. भू-उपयोग परिवर्तन की वैधता :-

6.1 भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय होने के पश्चात् संबंधित निकाय को एक माह में डिमाण्ड नोट जारी करना होगा तथा आवेदक को डिमाण्ड नोट जारी होने की दिनांक से 3 माह के अन्दर समस्त राशि जमा कराकर पट्टा लेना अनिवार्य होगा। उस अवधि में अगर आवेदक राशि जमा कराकर पट्टा प्राप्त नहीं करता है तो भू-उपयोग परिवर्तन निरस्त माना जावेगा।


भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में परिवर्तित उपयोग अनुसार कम से कम 25 प्रतिशत विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

6.2 6.1 के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में दो वर्ष के लिए संबंधित समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन/रूपान्तरण शुल्क की 10 प्रतिशत शास्ति ली जाकर भू-उपयोग परिवर्तन हेतु सक्षम समिति द्वारा समय वृद्धि की जा सकेगी।

6.3 भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने के पश्चात् समस्त विकास / निर्माण कार्य उपरोक्तानुसार 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराये जाने आवश्यक होंगे इस अवधि के पश्चात् किया गया भू-उपयोग परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा आवेदक को पुनः नवीन आवेदन बिन्दु संख्या 1 के अनुसार संबंधित निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर किया गया निर्माण संबंधित निकाय द्वारा अवैध घोषित किया जाकर भवन को सील किया जा सकेगा।

7. इस आदेश से पूर्व आवेदित ऐसे लगित प्रकरण जिनमें आपत्तिया/सुझाव आमंत्रित नहीं किये गये हैं का पुनः आवेदन लिया जाकर नये मापदण्डों व नवीन प्रक्रिया के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
8. ऐसे प्रकरण जिन पर आपत्तिया आमंत्रित कर ली गई है परन्तु निर्णय नहीं लिया गया है, उनमें पूर्व मापदण्डों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। परन्तु निर्णय हेतु क्षेत्राधिकार नवीन परिपत्र के अनुसार रहेगा। जिसमें स्थानीय स्तर पर ही अधिक संख्या में प्रकरणों का निस्तारण हो सके।
9. जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है परन्तु आदेश जारी नहीं हुए है, उनमें लिये जा चुके निर्णय के अनुसार आदेश जारी कर दिये जायेगे।
10. ऐसे अनुमोदित प्रकरण जिनमें पांच वर्ष के पश्चात् भी विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं, उन पर सक्षम समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर इस प्रक्रिया के तहत पुनर्विचार कर दो वर्ष की अवधि के लिये और छूट का निर्णय लिया जा सकेगा।

नोट:- विन्दु संख्या 1.1 व 3.1 के प्रावधानों हेतु राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 में आवश्यक संशोधन हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है।


 (गुरदयाल सिंह सन्धु)
 प्रमुख शासन सचिव,
 नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।

6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, नगर आयोजना एवं सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त.....।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव-प्रथम